

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 166 / 2021

वादी :-

2021

417

~~शे माराम पुत्र इंदराम~~  
~~जाति जाट साठ कड़ला~~

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

~~इमरती देवी कौटाल~~

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री ~~शे माराम~~ स्वयं वादी ।  
2. श्री ~~इमरती देवी~~ प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक :- 18-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 06 रकबा 49-13 बीघा, सरहद मौजा ~~कड़ला~~ तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ~~शे माराम~~ होने से राजस्व रेकर्ड में ~~शे माराम~~ दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 601962915506 जन आधार कार्ड संख्या ~~α~~ मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी / ~~α~~ राशन कार्ड संख्या ~~α~~ ~~शे माराम~~ दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ~~शे माराम~~ के स्थान पर ~~शे माराम~~ सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर  
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का  
बचपन नाम खेतराम के स्थान पर खेमराम  
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पंचपदरा  
तहसील पंचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया  
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया  
कि खेत खसरा नं 86 रकबा 49-13  
बीघा, सरहद मौजा बड़ला तहसील पंचपदरा वादी का नाम बचपन में  
लाड-प्यार का नाम खेतराम दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में  
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम  
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पंचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन  
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम खेतराम दर्ज किया गया है  
वादी का सही नाम खेमराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने  
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर  
तहसीलदार पंचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं .....  
86 रकबा 49-13 बीघा, सरहद मौजा बड़ला

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम खेतराम पुत्र दूदराम  
के स्थान पर खेमराम पुत्र दूदराम खातेदार घोषित किया  
जाता है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व  
रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18-10-2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट दूदरामलीनाथ में मजमे  
आम में सुनाया गया।



(नरेश सोनी)  
उपस्थित नरेश सोनी  
बलिवर